eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 08, August 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.22200543

# भारत में सुशासन की अवधारणा

**डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल**[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ0प्र0, भारत

Received: 21 August 2026 Accepted & Reviewed: 25 August 2026, Published: 31 August 2026

## Abstract

भारत में सुशासन की अवधारणा लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता और प्रशासनिक दक्षता के समन्वय पर आधारित है। वर्तमान समय में शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यक्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, अधिकारों की सुरक्षा, निर्णय–प्रक्रिया में सहभागिता, सार्वजनिक संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग तथा शासन संस्थाओं की जवाबदेही के आधार पर किया जाता है। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य भारत में सुशासन की अवधारणा, उसके संवैधानिक एवं प्रशासनिक आधार, प्रमुख विशेषताओं, समकालीन स्वरूप तथा उसके क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है तथा भारतीय संविधान, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेजों, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक एवं अन्य प्रामाणिक स्रोतों को द्वितीयक सामग्री के रूप में उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में सूचना का अधिकार, पंचायती राज, ई–गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा नागरिक–केंद्रित सेवाओं ने सुशासन को संस्थागत आधार प्रदान किया है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विलंब, संस्थागत क्षमता की कमी, न्यायिक विलंब, डिजिटल विभाजन, डेटा सुरक्षा, सीमित जनसहभागिता तथा सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अध्ययन निष्कर्षित करता है कि भारतीय संदर्भ में सुशासन को प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक नैतिकता, डिजिटल समावेशन तथा नागरिक सहभागिता को समान महत्व देना आवश्यक है। सुशासन को केवल कुशल प्रशासन के रूप में नहीं, बल्कि संविधान के लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, समावेशी और लोककल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

**मुख्य शब्द**– सुशासन, लोकतांत्रिक शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, विधि का शासन, ई–गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक सुधार, भारत।

## Introduction

भारत जैसे विशाल, बहुलतावादी एवं लोकतांत्रिक देश में शासन केवल प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहभागिता तथा विकास की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का माध्यम भी है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की सफलता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसके पास कितनी संस्थाएँ, कितने कानून अथवा कितनी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि शासन नागरिकों के प्रति कितना उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागी, न्यायपूर्ण, प्रभावी और संवेदनशील है। इसी संदर्भ में 'सुशासन' की अवधारणा समकालीन राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन और विकास अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। सुशासन

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 08, August 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.22200543

का मूल आशय ऐसी शासन–व्यवस्था से है जिसमें राज्य की संस्थाएँ विधि के शासन के अंतर्गत कार्य करती हैं, नागरिकों को निर्णय–निर्माण में भागीदारी का अवसर मिलता है, प्रशासन पारदर्शी एवं उत्तरदायी रहता है तथा सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग सामाजिक न्याय और लोककल्याण के लिए किया जाता है। सुशासन की अवधारणा का केंद्र केवल 'सरकार' नहीं, बल्कि नागरिक और शासन के बीच विश्वास, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का संबंध है। भारत में सुशासन की अवधारणा को समझने के लिए भारतीय संविधान को आधारभूत स्रोत के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; स्वतंत्रता; समानता तथा बंधुता के जिन आदर्शों को स्थापित किया गया है, वे सुशासन की आधारभूमि निर्मित करते हैं। संविधान के मौलिक अधिकार नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन, समानता, स्वतंत्रता और विधिक संरक्षण प्रदान करते हैं, जबकि राज्य के नीति–निदेशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय आधारित व्यवस्था स्थापित करने की दिशा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 39 संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण, समान अवसर और आर्थिक असमानताओं को कम करने पर बल देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की दिशा में राज्य को निर्देश देता है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान में सुशासन की अवधारणा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण और लोककल्याण की व्यापक संवैधानिक दृष्टि में अंतर्निहित है।

भारतीय संदर्भ में सुशासन की अवधारणा की ऐतिहासिक जड़ें आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांतों से कहीं अधिक पुरानी हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को प्रजा के हित को अपने हित से ऊपर रखने की अवधारणा मिलती है। कौटिल्य के अनुसार शासक का सुख प्रजा के सुख में और उसका हित प्रजा के हित में निहित है। यद्यपि प्राचीन राजतंत्र और आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की संस्थागत संरचनाएँ अलग हैं, फिर भी लोककल्याण, उत्तरदायित्व, प्रशासनिक दक्षता, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे तत्वों में एक वैचारिक निरंतरता दिखाई देती है। इसी प्रकार अशोक के शासन में लोककल्याण, नैतिक प्रशासन और प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व के तत्व दिखाई देते हैं। आधुनिक भारत में महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसहभागिता को विशेष महत्व दिया। गांधी के लिए लोकतंत्र केवल प्रतिनिधियों के निर्वाचन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें सामान्य व्यक्ति अपने स्थानीय जीवन से जुड़े निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने संसदीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघात्मक शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया। इन संस्थाओं ने लोकतांत्रिक शासन की आधारभूत संरचना तैयार की। किंतु समय के साथ यह अनुभव किया गया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व मात्र पर्याप्त नहीं है। यदि प्रशासन नागरिकों तक सेवाएँ समय पर नहीं पहुँचाता, यदि भ्रष्टाचार व्यापक है, यदि निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी है, यदि कमजोर वर्गों को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है और यदि नागरिकों की शासन में प्रभावी भागीदारी नहीं है, तो केवल संस्थागत लोकतंत्र को प्रभावी सुशासन नहीं कहा जा सकता। इसी कारण भारत में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण, लोकपाल, नागरिक चार्टर, ई–गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, पंचायतों का सशक्तीकरण और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे उपायों का महत्व बढ़ा है। भारत में सुशासन की अवधारणा के विकास में प्रशासनिक सुधार आयोगों की भूमिका उल्लेखनीय रही है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासनिक संरचना और प्रक्रियाओं में

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 08, August 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.22200543

सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'प्रोमोशन ऑफ ई–गवर्नेंस', 'एथिक्स इन गवर्नेंस', 'सिटिजन–सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन', 'स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम' तथा अन्य विषयों पर विस्तृत रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। इन रिपोर्टों में शासन को अधिक नागरिक–केंद्रित, पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाने पर बल दिया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 'Ethics in Governance' रिपोर्ट ने भ्रष्टाचार को सुशासन के सामने गंभीर चुनौती माना और राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्थाओं में नैतिक मानकों को मजबूत करने की आवश्यकता रेखांकित की। सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण आधार विधि का शासन है। लोकतांत्रिक राज्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार कानून से ऊपर नहीं हो सकती। भारत में संविधान सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है और न्यायपालिका संवैधानिक शासन की संरक्षक की भूमिका निभाती है। विधि के शासन का अर्थ केवल कानूनों का अस्तित्व नहीं, बल्कि उनका निष्पक्ष और समान अनुप्रयोग भी है। यदि कानून का अनुप्रयोग व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति के आधार पर अलग–अलग होता है तो शासन की वैधता कमजोर होती है। इसलिए समानता का अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, विधिक सहायता तथा निष्पक्ष प्रशासन सुशासन के अनिवार्य घटक हैं।

पारदर्शिता सुशासन की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है। लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार निर्णय कैसे लेती है, सार्वजनिक धन कहाँ खर्च किया जाता है और सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ किसे प्राप्त हो रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने भारतीय शासन व्यवस्था में पारदर्शिता को संस्थागत रूप देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इस कानून ने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक पहुँच का वैधानिक अधिकार प्रदान किया। सूचना के अधिकार ने प्रशासनिक गोपनीयता की पारंपरिक संस्कृति को चुनौती दी और नागरिकों को शासन की निगरानी में अधिक सक्षम बनाया। हालांकि सूचना आयोगों में लंबित मामलों, सूचना अधिकारियों की क्षमता, अपवादों की व्याख्या और सूचना प्राप्ति में होने वाली देरी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। उत्तरदायित्व सुशासन की तीसरी केंद्रीय विशेषता है। शासन में अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। मंत्री संसद के प्रति, प्रशासन जनता और निर्वाचित सरकार के प्रति तथा निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय प्रश्न, समितियाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, न्यायिक समीक्षा, मीडिया, नागरिक समाज, सामाजिक अंकेक्षण और चुनाव जैसे संस्थागत एवं सामाजिक माध्यम शासन को उत्तरदायी बनाने में योगदान देते हैं। उत्तरदायित्व की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि संस्थाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता, संसाधन और अधिकार प्राप्त हैं या नहीं। सुशासन में जनसहभागिता का विशेष महत्व है। लोकतंत्र में नागरिक केवल मतदाता नहीं, बल्कि शासन प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार हैं। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाना था। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन को संस्थागत आधार प्रदान किया। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ने स्थानीय राजनीतिक भागीदारी को व्यापक बनाया। अनेक राज्यों में स्थानीय निकायों के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। फिर भी वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक अधिकारों और कार्यात्मक स्वायत्तता की सीमाएँ स्थानीय स्वशासन के प्रभावी संचालन के सामने चुनौती बनी हुई हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 08, August 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.22200543

सुशासन और सामाजिक न्याय का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। भारत की सामाजिक संरचना में जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, ग्रामीण–शहरी विभाजन और आर्थिक असमानताओं की ऐतिहासिक उपस्थिति रही है। इसलिए भारतीय सुशासन का मूल्यांकन केवल प्रशासनिक दक्षता से नहीं किया जा सकता। यदि विकास का लाभ समाज के कमजोर वर्गों तक नहीं पहुँचता तो शासन को सुशासन की कसौटी पर सफल नहीं माना जा सकता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांगजन, वृद्ध, गरीब और अन्य वंचित समूहों को समान अवसर तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सुशासन का अभिन्न हिस्सा है। महिला सशक्तीकरण भी सुशासन का आवश्यक आयाम है। महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक भागीदारी बढ़ाने के बिना समावेशी शासन की कल्पना अधूरी रहती है। स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाया है। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संविधान का 106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023 महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल है, यद्यपि उसके प्रावधानों का वास्तविक प्रभाव परिसीमन और संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। महिलाओं की भागीदारी को केवल प्रतिनिधित्व की संख्या तक सीमित न रखकर निर्णय लेने की वास्तविक क्षमता, संसाधनों तक पहुँच और संस्थागत नेतृत्व में परिवर्तित करना आवश्यक है। सुशासन का संबंध आर्थिक विकास से भी है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न रिपोर्टों ने संस्थागत गुणवत्ता और विकास के बीच संबंध पर बल दिया है। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता, नीति–अनिश्चितता, कमजोर नियमन और संसाधनों के दुरुपयोग से विकास की गति प्रभावित होती है। इसके विपरीत पारदर्शी संस्थाएँ, स्पष्ट नियम, कुशल प्रशासन, प्रभावी न्याय व्यवस्था और स्थिर नीतिगत वातावरण निवेश तथा विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। भारत में ई–गवर्नेंस ने सुशासन की अवधारणा को नया आयाम प्रदान किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। आधार, डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिलॉकर, ऑनलाइन सरकारी सेवाएँ, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बदल रहे हैं। डिजिटल माध्यमों ने मध्यस्थता और भौतिक संपर्क को कम करने में सहायता की है तथा कई क्षेत्रों में सेवाओं की पहुँच बढ़ाई है। किंतु डिजिटल विभाजन, इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और निजता की चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। अतः डिजिटल शासन को तभी सुशासन का माध्यम कहा जा सकता है जब तकनीकी दक्षता के साथ नागरिक अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित हो।

डिजिटल शासन के संदर्भ में डेटा और निजता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरिक–केंद्रित डिजिटल प्रशासन में व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण और उपयोग स्पष्ट कानूनी एवं नैतिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए। डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रशासनिक दक्षता बढ़ा सकता है, किंतु इसके साथ डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और उत्तरदायित्व की मजबूत व्यवस्था आवश्यक है। डिजिटल माध्यमों से सरकारी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि जिन नागरिकों के पास डिजिटल संसाधन नहीं हैं, वे सरकारी सेवाओं से वंचित न हों। सुशासन में भ्रष्टाचार नियंत्रण एक प्रमुख चुनौती है। भ्रष्टाचार प्रशासनिक संसाधनों का अपव्यय करने के साथ–साथ नागरिकों के शासन में विश्वास को भी कमजोर करता है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ लक्षित समूह तक नहीं पहुँच पाता। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता तंत्र तथा विभिन्न राज्य स्तरीय संस्थाएँ भ्रष्टाचार नियंत्रण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 08, August 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.22200543

के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी खरीद में ई–प्रोक्योरमेंट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटल भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण जैसी व्यवस्थाएँ भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने में सहायक हो सकती हैं। सुशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व प्रशासनिक नैतिकता है। केवल कानून बनाकर भ्रष्टाचार और कदाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक अधिकारियों तथा राजनीतिक नेतृत्व में सार्वजनिक सेवा की भावना, निष्पक्षता, ईमानदारी, संवेदनशीलता और लोकहित के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। प्रशासन को नागरिकों को 'लाभार्थी' के रूप में देखने के बजाय अधिकार–संपन्न नागरिक के रूप में देखना चाहिए। नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, शिकायतों का समयबद्ध समाधान और निर्णयों में निष्पक्षता प्रशासनिक नैतिकता के महत्वपूर्ण मानदंड हैं।

सुशासन के मूल्यांकन में शिकायत निवारण व्यवस्था का भी विशेष महत्व है। नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ें, आवेदन लंबे समय तक लंबित रहें या शिकायतों पर कोई कार्रवाई न हो तो शासन के प्रति विश्वास कमजोर होता है। इसलिए नागरिक चार्टर, समयबद्ध सेवा वितरण कानून, ऑनलाइन शिकायत प्रणालियाँ और सेवा गारंटी कानून सुशासन को मजबूत करने वाले उपाय हैं। नागरिक चार्टर तभी प्रभावी होगा जब उसमें स्पष्ट सेवा मानक, उत्तरदायी अधिकारी, समय सीमा और उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही निर्धारित हो। सुशासन को विकेंद्रीकरण के बिना पूर्ण रूप से स्थापित करना कठिन है। भारत में स्थानीय स्तर पर पंचायतों और नगर निकायों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता लंबे समय से अनुभव की जाती रही है। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय परिस्थितियों को समझने वाली संस्थाएँ अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती हैं। ग्राम सभा लोकतांत्रिक सहभागिता का महत्वपूर्ण मंच है। यदि ग्राम सभा को पर्याप्त सूचना, वित्तीय विवरण और निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक अधिकार मिलें तो स्थानीय शासन में पारदर्शिता तथा नागरिक सहभागिता बढ़ाई जा सकती है। सुशासन का संबंध पर्यावरणीय स्थिरता से भी है। वर्तमान समय में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन, जल संकट, वायु प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव शासन की क्षमता की परीक्षा लेते हैं। पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखे बिना विकास परियोजनाओं की योजना बनाना दीर्घकालीन रूप से समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। सतत विकास लक्ष्यों ने शासन को आर्थिक विकास के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को जोड़ने का व्यापक ढाँचा प्रदान किया है।

सुशासन का एक अन्य आयाम आपदा प्रबंधन है। कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर में शासन की क्षमता, स्वास्थ्य प्रशासन, डिजिटल सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और संकट प्रबंधन की परीक्षा ली। भारत में भी महामारी के दौरान केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय, डिजिटल तकनीक, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सहायता की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस अनुभव ने स्पष्ट किया कि सुशासन केवल सामान्य परिस्थितियों में कुशल प्रशासन नहीं, बल्कि संकट की स्थिति में त्वरित, समन्वित और मानवीय प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी है। इस अध्ययन की मूल परिकल्पना यह है कि भारत में सुशासन की प्रभावशीलता केवल प्रशासनिक सुधारों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विधि के शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक नैतिकता, डिजिटल समावेशन और संस्थागत क्षमता के संयुक्त प्रभाव पर निर्भर करती है। दूसरी परिकल्पना यह है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और ई–गवर्नेंस पारदर्शिता एवं सेवा वितरण को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं, किंतु

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 08, August 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.22200543

डिजिटल विभाजन और डेटा–सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान किए बिना डिजिटल शासन अपने आप में सुशासन सुनिश्चित नहीं कर सकता। तीसरी परिकल्पना यह है कि सुशासन की सफलता के लिए संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और प्रशासनिक संस्थाओं की जवाबदेही दोनों का संतुलित होना आवश्यक है। चौथी परिकल्पना यह है कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों की वास्तविक भागीदारी के बिना भारतीय संदर्भ में सुशासन की अवधारणा अधूरी रहेगी।

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक शोध प्रविधि का उपयोग किया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। भारतीय संविधान, संसद द्वारा निर्मित अधिनियमों, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों, भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों, नीति संबंधी रिपोर्टों, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व बैंक के दस्तावेजों, शोध–पुस्तकों, शोध–पत्रों और प्रासंगिक अकादमिक साहित्य का उपयोग किया गया है। अध्ययन में गुणात्मक विश्लेषण की पद्धति अपनाते हुए सुशासन के प्रमुख घटकों, विधि का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, समावेशन, दक्षता, भ्रष्टाचार नियंत्रण और डिजिटल शासन, का भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक सर्वेक्षण अथवा सांख्यिकीय प्रतिदर्श का प्रयोग नहीं किया गया है; अतः इसके निष्कर्ष मुख्यतः दस्तावेजीय एवं वैचारिक विश्लेषण पर आधारित हैं। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में सुशासन की संस्थागत आधारभूमि पर्याप्त रूप से विकसित है, किंतु उसके क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर असमानताएँ मौजूद हैं। भारत के पास मजबूत संवैधानिक व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सूचना आयोग, पंचायती राज संस्थाएँ, लोकपाल व्यवस्था और विविध सामाजिक कल्याण कार्यक्रम हैं। इसके साथ ही सूचना का अधिकार, डिजिटल सेवाएँ और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी पहलों ने शासन में पारदर्शिता तथा सेवा वितरण की क्षमता बढ़ाई है। फिर भी प्रशासनिक विलंब, भ्रष्टाचार, संस्थागत क्षमता की कमी, न्यायिक विलंब, विभागीय समन्वय की कमजोरी और नागरिकों की सीमित भागीदारी जैसी समस्याएँ सुशासन की राह में बाधक हैं।

यह भी स्पष्ट होता है कि भारत में सुशासन का स्वरूप राज्यों और क्षेत्रों के बीच समान नहीं है। कुछ राज्यों ने समयबद्ध सेवा वितरण, डिजिटल शासन, सामाजिक अंकेक्षण, स्थानीय शासन और सार्वजनिक सेवा सुधारों में उल्लेखनीय पहल की है, जबकि अन्य स्थानों पर प्रशासनिक क्षमता और संसाधनों की सीमाएँ अधिक दिखाई देती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुशासन के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण पर्याप्त नहीं है; राज्यों और स्थानीय निकायों की संस्थागत क्षमता को भी मजबूत करना आवश्यक है। सुशासन की सफलता नागरिक विश्वास से भी जुड़ी है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास तब मजबूत होता है जब नागरिक अनुभव करते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष है, उनकी शिकायत सुनी जाती है और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से मिलता है। इसके विपरीत भ्रष्टाचार, भेदभाव, विलंब और सूचना के अभाव से नागरिकों में शासन के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सुशासन को केवल प्रशासनिक परिणामों का प्रश्न न मानकर लोकतांत्रिक वैधता और सामाजिक विश्वास का प्रश्न भी माना जाना चाहिए। भारतीय शासन में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की अवधारणा ने प्रशासनिक भूमिका के पुनर्संयोजन पर बल दिया है। इसका आशय प्रशासनिक नियंत्रण को अनावश्यक रूप से बढ़ाने के बजाय प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने से है। किंतु राज्य की भूमिका को केवल नियामक तक सीमित करना भारतीय सामाजिक–आर्थिक संदर्भ में पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 08, August 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.22200543

सुरक्षा, पोषण, रोजगार, पर्यावरण और कमजोर वर्गों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में राज्य की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। अतः भारतीय सुशासन का उपयुक्त मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें दक्ष प्रशासन और लोककल्याणकारी राज्य दोनों का संतुलन स्थापित हो। विश्लेषण से यह भी सामने आता है कि सुशासन और लोकतंत्र एक–दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र शासन को वैधता प्रदान करता है, जबकि सुशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावशीलता प्रदान करता है। यदि लोकतंत्र में चुनाव तो नियमित हों, लेकिन नागरिकों को सरकारी सेवाएँ न मिलें, न्याय में अत्यधिक विलंब हो और प्रशासन जवाबदेह न हो, तो लोकतंत्र की संस्थागत उपलब्धियाँ कमजोर हो सकती हैं। दूसरी ओर केवल प्रशासनिक दक्षता भी पर्याप्त नहीं है यदि उसमें नागरिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का अभाव हो। इसलिए भारत के लिए लोकतांत्रिक सुशासन का मॉडल सबसे अधिक उपयुक्त है।

उपलब्ध साहित्य एवं संवैधानिक–प्रशासनिक विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में सुशासन कोई स्थिर अथवा पूर्ण रूप से प्राप्त अवस्था नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। सुशासन का वास्तविक अर्थ नागरिकों को केंद्र में रखकर शासन की संस्थाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों को निरंतर सुधारना है। भारत ने पारदर्शिता, डिजिटल शासन, विकेंद्रीकरण, सामाजिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार और नागरिक अधिकारों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन इन उपलब्धियों को प्रभावी परिणामों में बदलने के लिए संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक नैतिकता और नागरिक सहभागिता को और मजबूत करना आवश्यक है। सुशासन का अंतिम उद्देश्य केवल सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार करना है।

अंततः कहा जा सकता है कि भारत में सुशासन की अवधारणा संविधान के लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और लोककल्याणकारी आदर्शों से विकसित होकर आधुनिक प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, जनसहभागिता और संस्थागत उत्तरदायित्व तक विस्तृत हो चुकी है। सुशासन का अर्थ केवल 'अच्छी सरकार' नहीं, बल्कि ऐसी शासन–व्यवस्था है जिसमें सत्ता का प्रयोग संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर, लोकहित में और नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होकर किया जाए। भारत की विविधता को देखते हुए यहाँ सुशासन का मॉडल केंद्रीकृत प्रशासनिक दक्षता के साथ स्थानीय सहभागिता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के संतुलन पर आधारित होना चाहिए। सुशासन की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब राज्य की नीतियाँ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुँचें, नागरिकों को न्याय और सम्मान मिले, सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास बढ़े, भ्रष्टाचार और मनमानी कम हो तथा प्रत्येक नागरिक को विकास की प्रक्रिया में भागीदारी और समान अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार सुशासन भारतीय लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी और जनकल्याणकारी बनाने का प्रमुख माध्यम है।

## संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, भारत का संविधान, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, विधायी विभाग, नई दिल्ली।
3. भारत सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार, संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, नई दिल्ली।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 08, August 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.22200543

5. भारत सरकार, संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, नई दिल्ली।

6. भारत सरकार, संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, नई दिल्ली।

7. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 'Right to Information: Master Key to Good Governance', भारत सरकार, नई दिल्ली।

8. कौटिल्य, 'अर्थशास्त्र', विभिन्न प्रामाणिक हिन्दी संस्करण, नई दिल्ली।

9. गांधी, महात्मा, 'हिन्द स्वराज', नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।

10. शुक्ल, अ. कु. (2018). नागरिक समाज और उसकी राजनीतिक भूमिका. *International Journal of Advanced Research in Multidisciplinary Sciences (IJARMS), 1*, 6–10. आधिकारिक IJARMS स्रोत

**शुक्ल, अ. कु. (2026).** भारतीय लोकतंत्र में डिजिटल मीडिया और राजनीतिक सहभागिताः नागरिक चेतना एवं जनमत निर्माण का अध्ययन. *Idealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS), 5*(05), 125–134. https://doi.org/10.82471/c99s5-tvq73

**शुक्ल, अ. कु. (2025).** विकसित भारत 2047ः एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की संभावनाएं. *Idealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS), 4*(02), 126–135. आधिकारिक IJARPS लेख